



राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर 302001

(Phone: 0141-2385831, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: ftsrslsa@gmail.com,

website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: F-5()/RHCLSC/JP/Sec/NLA-II/2026/ 2 2 3 3

दिनांक: 18/4/26

सूचना

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 09.05.2026

सभी विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यमों से दिनांक 09.05.2026 (द्वितीय शनिवार) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में किया जा रहा है।

दिनांक 09.05.2026 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न कैटेगरी के प्रकरणों को रखा जाना है:-

(a) Pre-Litigation:

All type of Civil and Compoundable Criminal cases as permissible under the Act/Regulations may be taken up. The data and records of registration of cases be maintained by the DLSA/HCLSC or TLSC under the directions of SLSA.

The SLSA will make all endeavours to promote registration of pre-litigation cases and the service of notices through digital platforms/online modes, to ease pressure on the conventional system.

(b) Pending in the Courts:

All type of civil and compoundable criminal cases, including the following:

- i. Criminal Compoundable Offences,
- ii. Plea Bargaining Cases,
- iii. NI Act cases under Section 138,
- iv. Bank Recovery cases,
- v. Motor Accident Claim cases,
- vi. Compoundable Traffic Challans,
- vii. Labour dispute cases,
- viii. Disputes related to Public Utility services such as Electricity & Water Bills cases etc. (excluding non-compoundable),
- ix. Matrimonial disputes (except divorce)/ Family disputes,
- x. Land Acquisition cases,
- xi. Service matters including pension cases,
- xii. Revenue and other ancillary matters, pending before High Court, District Courts and State/District/Taluka Authorities.
- xiii. IPR matters/ Consumer matters/ also other matters pending before any other quasi-judicial authority,
- xiv. Other civil cases (rent, easementary rights, injunction suits, specific performance suits etc.).

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुगत की गई उपरोक्त श्रेणी के प्रकरणों के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा


पाठोकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के तहत प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाना है।

नोट:-

1. केवल उपरोक्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण ही राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जावेंगे।
2. राजस्थान सरकार/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम एवं नागरिक के मध्य लम्बित मामलों में राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के हर संभव प्रयास किये जावेंगे।
3. संबंधित सरकारी विभाग/उपक्रम के सक्षम एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्री-काउन्सलिंग बैठकों में भाग लिया जाना अनिवार्य होगा तथा ऐसे अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर) का होगा।
4. निजी मामलों में स्वयं पक्षकारों की प्री-काउन्सलिंग बैठकों में ऑनलाईन/ऑफलाईन उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के हर संभव प्रयास किये जावेंगे।
5. उपरोक्त प्रकरणों में मूल प्रकरणों के साथ-साथ अपील/निगरानी (Revision)/पुनरावलोकन याचिकाएं (Review Petitions) भी सम्मिलित होंगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्री-काउन्सलिंग दिनांक 22.04.2026 से प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक मध्यस्थता केन्द्र, पुराना भवन, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर में आयोजित की जा रही है।

सभी विद्वान अधिवक्तागण एवं पक्षकारान से निवेदन है कि वे अपना प्रकरण उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यक्तिशः, ई-मेल, व्हॉट्सअप संदेश आदि के माध्यम से रखवा सकते हैं, ताकि प्रकरणों का समझौते के माध्यम से लोक अदालत में निस्तारण हो सके। प्री-काउन्सलिंग में सूचीबद्ध होने वाले प्रकरणों की कॉज लिस्ट रालसा की वेबसाइट <https://rlsa.gov.in/NLACauselist.html> एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <https://hcraj.nic.in/hcraj> पर उपलब्ध है।


सचिव


राजस्थान उच्च न्यायालय
विधिक सेवा समिति, जयपुर

क्रमांक: F-5 ()/RHCLSC/JP/Sec/NLA-II/2026/2307-2313

दिनांक: 20/04/2026

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित है:-

01. रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
02. रजिस्ट्रार (सी.पी.सी.) महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
03. रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
04. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन, जयपुर।
05. सचिव महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन, जयपुर/बार एसोसियेशन, जयपुर/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर/राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, बार एसोसियेशन, जयपुर/पारिवारिक न्यायालय, बार एसोसियेशन, जयपुर/ऋण वसूली अधिकरण बार एसोसियेशन, जयपुर/वाणिज्यिक न्यायालय, बार एसोसियेशन, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को सभी अधिवक्तागण तक सम्प्रेषित करें।
06. निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना का विस्तृत रूप से प्रसारण करे।
07. नोडल अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
08. प्रबंधक, समस्त बीमा कम्पनी/बैंक।
09. कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।


सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय
विधिक सेवा समिति, जयपुर